

भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1683
13.02.2026 को उत्तर के लिए नियत

घरेलू बैटरी विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देना

1683 श्री राजिन्दर गुप्ता:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में मदद करने के लिए घरेलू बैटरी विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने हेतु उपाय किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) विशेष रूप से कच्चे माल की सुरक्षा और बैटरी गीगाफैक्ट्रियों का परिवर्धन करने के संबंध में सामने आने वाली मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं; और

(घ) इलेक्ट्रिक वाहनों की मार्केट में पैठ बढ़ाने के लिए किए गए या प्रस्तावित उपाय क्या-क्या हैं, जिसमें बैटरी रीसाइक्लिंग और सर्कुलरिटी से संबंधित नीतियाँ शामिल हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) एवं (ख) : भारी उद्योग मंत्रालय ने 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ मई 2021 में "राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम" पर उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य 50 गीगावाट घंटे की एसीसी बैटरी के लिए एक प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।

कुल लक्षित 50 गीगावाट घंटे क्षमता में से 40 गीगावाट घंटे क्षमता चार लाभार्थी कंपनियों को आवंटित की जा चुकी है। यह 40 गीगावाट घंटे क्षमता अंतिम उद्योग निरपेक्ष (एंड-यूज एग्नॉस्टिक) है और इसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों सहित किसी भी अनुप्रयोग के लिए किया जा सकता है। लाभार्थी कंपनियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार,

31.12.2025 तक इस स्कीम के अंतर्गत ₹3,237 करोड़ का संचयी निवेश और 1,118 रोजगारों का सृजन किया जा चुका है।

लाभार्थी-वार आवंटित क्षमता और स्थापित की गई वास्तविक क्षमता का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	पीएलआई एसीसी स्कीम के तहत लाभार्थी फर्म	प्रदत्त क्षमता (गीगावाट घंटे में)	संस्थापित क्षमता (गीगावाट घंटे में)
1.	एसीसी एनर्जी स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड	5	0
2.	ओला सेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	20	1
3.	रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी स्टोरेज लिमिटेड	5	0
4.	रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड	10	0
	कुल	40	1

(ग) : पीएलआई एसीसी स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी कंपनियाँ निम्नलिखित कारणों से कई प्रचालन एवं कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों का सामना कर रही हैं:

1. प्रौद्योगिकी की सीमित उपलब्धता।
2. कुशल मानव संसाधन की कमी।
3. महत्वपूर्ण उपकरणों एवं मशीनरी का आयात।
4. कैथोड एक्टिव मटेरियल (सीएएम), एनोड एक्टिव मटेरियल (एएएम), इलेक्ट्रोलाइट आदि जैसे अपस्ट्रीम घटकों की उपलब्धता का अभाव।

(घ) : भारी उद्योग मंत्रालय देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बाज़ार पैठ बढ़ाने के लिए निम्नलिखित स्कीम का क्रियान्वयन कर रहा है:

1. भारत में ऑटोमोबाइल एवं ऑटो घटक उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (पीएलआई -ऑटो)
2. राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम पर उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (पीएलआई एसीसी)
3. पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट योजना (पीएम ई-ड्राइव)
4. पीएम ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना (पीएसएम)
5. भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण संवर्धन स्कीम (एसपीएमईपीसीआई)

बैटरी पुनर्चक्रण और चक्रीयता (सर्कुलरिटी) के लिए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपशिष्ट बैटरियों के पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित प्रबंधन के लिए 24 अगस्त, 2022 को बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 अधिसूचित किए। ये नियम सभी प्रकार की बैटरियों पर लागू होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरियाँ, पोर्टेबल बैटरियाँ, ऑटोमोटिव बैटरियाँ तथा औद्योगिक बैटरियाँ।

खान मंत्रालय 29 जनवरी, 2025 को अनुमोदित राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) को कार्यान्वित कर रहा है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की दीर्घकालिक और सतत आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा खनिज अन्वेषण और खनन से लेकर धातुशोधन, प्रसंस्करण और प्रयोग-अवधि समाप्त उत्पादों से पुनर्प्राप्ति तक के सभी चरणों को समाहित करते हुए भारत की महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करना है।

इसके अतिरिक्त, खान मंत्रालय महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसे 2 अक्टूबर, 2025 को प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत पात्र फीडस्टॉक में ई-वेस्ट, लिथियम आयन बैटरी (एलआईबी) स्क्रेप तथा ई-वेस्ट एवं एलआईबी स्क्रेप के अतिरिक्त अन्य स्क्रेप, जैसे प्रयोग-अवधि समाप्त वाहनों में प्रयुक्त कैटेलिटिक कन्वर्टर, शामिल हैं।
